भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3005

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

उत्तराखंड में आईसीडीएस योजना

3005. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के कार्यान्वयन में कोई महत्वपूर्ण सुधार देखा है;

(ख) यदि हां, तो उत्तराखंड में आंगनवाड़ी केंद्रों और बाल विकास परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग) : 15वें वित्त आयोग (एफसी) की अवधि के दौरान, 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं एवं किशोरियों के लिए पोषण सहायता, बच्चों (3-6 वर्ष) की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा तथा आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना जैसे विभिन घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 20) के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है। इस मिशन में पोषण की मात्रा एवं प्रदायगी में सुधार के माध्यम से कुपोषण की चुनौती से निपटने का प्रयास किया जाता है। यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जहां कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

इस मिशन के अंतर्गत कुपोषण में कमी लाने और सामुदायिक भागीदारी, पहुंच, व्यवहारिक परिवर्तन और समर्थन जैसे क्रियाकलापों के माध्यम से स्वास्थ्य, तंदुरस्ती तथा प्रतिरक्षा में सुधार के लिए नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें आयुष पद्धतियों के माध्यम से मातृ पोषण, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार तथा आरोग्यता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

पोषण ट्रैकर के अनुसार, मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों का विवरण (09.12.2024 तक) निम्नानुसार है:

6 वर्ष तक के बच्चे	किशोरियां	स्तनपान कराने वाली माताएं	गर्भवती महिलाएं
605347	74116	53599	57576

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार उत्तराखंड राज्य में पांच वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन और अल्प वजन की व्यापकता निम्नानुसार है:

ठिगनापन **(%)**		दुबलापन **(%)**		अल्प वजन **(%)**	
एनएफएचएस **4 (2015-16)**	एनएफएचएस **5 (2019-21)**	एनएफएचएस **4 (2015-16)**	एनएफएचएस **5 (2019-21)**	एनएफएचएस **4 (2015-16)**	एनएफएचएस **5 (2019-21)**
33.5	27	19.5	13.2	26.6	21

इस मिशन के तहत कुल 105 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा उत्तराखंड राज्य में सभी क्रियाशील हैं। इसके अलावा, उत्तराखंड राज्य के लिए कुल 20069 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 20062 क्रियाशील हैं।

बेहतर पोषण प्रदायगी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ी को एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका, ईसीसीई और बाला पेंटिंग प्रदान करके पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों से बेहतर बुनियादी ढांचे से युक्त किया गया है। उत्तराखंड राज्य में 827 आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है और इस उद्देश्य के लिए 744 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। उत्तराखंड राज्य में 350 आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में उन्नत किया गया है।

यह मंत्रालय वीडियो कॉन्फरेंस, बैठकों एवं ऑनलाइन पोषण ट्रैकर पद्धतियों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से मिशन 2.0 के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी करता है।

इस मिशन के अंतर्गत जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही कुपोषण के चक्र को समाप्त करने के लिए बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग), गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं एवं किशोरियों को अनुपूरक पोषण प्रदान किया जाता है।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है।

भारत सरकार ने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का कौशल उन्नयन करने के लिए 10 मई, 2023 को पोषण भी पढाई भी पहल शुरू की ताकि दिव्यांग बच्चों सहित छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख करने तथा शिक्षा एवं पोषण सेवा प्रदान करने की उनकी क्षमता बढाई जा सके।

मंत्रालय ने पूरक पोषण प्रदायगी में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के लिए "पोषण ट्रैकर" के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन, ड्यूटी धारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, खरीद की प्रक्रिया, आयुष अवधारणाओं को एकीकृत करने तथा डेटा प्रबंधन एवं निगरानी जैसे कई पहलुओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 13.01.2021 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पोषण ट्रैकर के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

I. पोषण ट्रैकर में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है।
II. पोषण ट्रैकर में पंजीकरण के बाद सभी लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से उन सेवाओं के बारे में सूचित किया जाता है, जिनका लाभ वे आंगनवाड़ी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठा सकते हैं, जिससे नागरिकों का स्वामित्व बनता है।
III. इसके अलावा, टीएचआर की डिलीवरी पर, लाभार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पोषण हेल्पलाइन विवरण के साथ एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं। यदि लाभार्थी को टीएचआर नहीं मिलता है, तो वह पोषण हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकता है।

IV. विकास निगरानी के भौतिक रिकॉर्ड को पोषण ट्रैकर में स्वत: सृजित मासिक रिपोर्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इन रिपोर्टों को डाउनलोड किया जा सकता है और पर्यवेक्षकों द्वारा समीक्षा बैठक में उपयोग किया जा सकता है।

V. प्रासंगिक विषयों पर आईईसी सामग्री पोषण ट्रैकर पर डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाती है, जिससे भारी आईईसी सामग्री ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

VI. सभी गृह दौरा अब पोशन ट्रैकर में स्वत:निर्धारित किया जाता है जिसके लिए उसे रिमाइंडर भी मिलते हैं। पूर्ण और लंबित गृह यात्रा की रिपोर्ट पोषण ट्रैकर में उपलब्ध है।

VII. "पोषण ट्रैकर" के साथ, कुपोषण संकेतकों पर तात्कालिक डेटा प्रत्येक महीने उपलब्ध है। एनएफएचएस (लगभग 6.1 लाख परिवारों का नमूना आकार) की तुलना में पोषण ट्रैकर लगातार प्रत्येक महीने लगभग 8 करोड़ बच्चों का मापन करता है जो लाभार्थियों की तात्कालिक पोषण स्थिति को दर्शाता है।

VIII. पोषण ट्रैकर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के लिए प्रोत्साहनों की पात्रता की स्वतः गणना का प्रावधान है, जो विकास निगरानी, गृह दौरा और आंगनवाड़ी केंद्र खोलने में उनके प्रदर्शन पर आधारित है।

IX. पोषण ट्रैकर में फैक्ट शीट के रूप में एक नई रिपोर्ट जोड़ी गई है। पोषण ट्रैकर विभिन्न रिपोर्ट जैसे विकास की निगरानी, खुले आंगनवाड़ी केंद्र, बच्चों की प्रत्येक दिन की उपस्थिति, आंगनवाड़ी केंद्र में बुनियादी ढांचे का विवरण इत्यादि तैयार करता है। ये रिपोर्टें पर्यवेक्षकों, सीडीपीओ और डीपीओ सहित सभी स्तरों पर उपलब्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुपोषित बच्चों के लिए लक्षित दृष्टिकोण सहित योजना के प्रशासनिक पर्यवेक्षण और प्रभावी कार्यान्वयन में सुधार हुआ है।

*****